



शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र)

BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING (NORTHERN REGION)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन
UNDER GOVT. OF INDIA, MINISTRY OF EDUCATION, DEPTT. OF HIGHER EDU.
Webportal: www.mhrdnats.gov.in, www.boatnr.org



सशक्त युवा, समर्थ भारत

संदर्भ सं०: बीटी/एए/12413

दिनांक 19.02.2024

सेवा में,

सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/अवस्थापनाओं के प्रमुख
(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख)

विषय: सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशिक्षणरत शिक्षुओं को (फरवरी, 2024 माह के लिए मार्च, 2024 माह में देय) stipend के केंद्र सरकार के हिस्से के भुगतान हेतु DBT के कार्यान्वयन के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक बीटी/एए/12407 दिनांक 13.02.2024

महोदय / महोदया,

सभी अवस्थापनाओं (सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों) से अनुरोध है कि कृपया सम्बंधित अवस्थापना (Establishment) में प्रशिक्षणरत शिक्षुओं के stipend (फरवरी 2024 के लिए मार्च 2024 के महीने में देय है) के केंद्र सरकार के हिस्से के भुगतान हेतु निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करें :

i. सभी प्रशिक्षणरत शिक्षु (Apprentice) NATS 2.0 पोर्टल पर DBT रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर लें। ऐसे प्रशिक्षणरत शिक्षु जिनके DBT रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है अथवा असफल हो गई है, उनकी सूची संबंधित अवस्थापना के डैश बोर्ड पर उपलब्ध है। जिन शिक्षुओं के DBT रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चेतावनी इत्यादि के रिमार्क स्थापना के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हैं उन्हें सही करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अवस्थापनों के प्राधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणरत सभी शिक्षुओं को इस बाबत सही मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वह (शिक्षुओं) अपने बैंक खाते को आधार सीडेड (Aadhar Seeded) / DBT एनेबल्ड (DBTenabled) बनाने हेतु संबंधित बैंक के शाखा अथवा आधार केंद्र जाकर आवश्यक कार्रवाई करें।

एक बार शिक्षु द्वारा अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ने के बाद या DBT एनेबल्ड (DBTenabled) बनाने के बाद वे NATS 2.0 पोर्टल पर Re-registration बटन के द्वारा DBT रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

प्रशिक्षणरत शिक्षु के DBT रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करवाना अवस्थापना/संबंधित शिक्षु की जिम्मेदारी है। शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

ii. प्रशिक्षणरत शिक्षुओं को DBT की प्रक्रिया से stipend का भुगतान शिक्षुओं द्वारा सफलतापूर्वक DBT रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही संभव होगा अन्यथा केंद्र सरकार के हिस्से का भुगतान DBT माध्यम से नहीं हो सकेगा।

iii. सभी अवस्थापनाओं (सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों) से अनुरोध है कि वे DBT प्रक्रिया से संबंधित अपडेट हेतु कृपया हमारे वेबसाइट www.boatnr.org के "Announcement" Section का नियमित अंतराल पर अवलोकन करते रहे।

भवदीय,

[डॉ० एस.एम. इजाज़ अहमद]

निदेशक



Head Office:

16/1A, Lakhanpur, Kanpur-208024, Uttar Pradesh

Delhi Office:

Email: admin@boatnr.org Phone: ☎ 0512- 2580300, 2580349 Fax: ☎ 0512-2581504

Jaipur Office:

Campus of Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU), Dwarka Sector- 9, New Delhi-110077

Chandigarh Office:

Office of State Apprenticeship Advisor, Opp. Mahila ITI, Bani Park, Jaipur-302016, Rajasthan

Campus of Post Graduate Govt. College, Sector-46, Chandigarh-160047

एक कदम स्वच्छता की ओर